

परिपत्र सं. आईआरडीएआई/एसीटीएल/सीआईआर/पीआरओ/135/06/2023

Cir No. IRDAI/ACTL/CIR/PRO/135/06/2023

दिनांक / Date: 20.06.2023

परिपत्र
Circular

प्रति / To,
सभी जीवन बीमाकर्ता / All Life Insurers

विषय: जीवन बीमा उत्पादों के लिए “यूज़ एण्ड फाइल” प्रक्रिया

Subject: “Use and File” Procedure for Life Insurance Products

संदर्भ: (क) आईआरडीएआई/एसीटीएल/सीआईआर/पीआरओ/081/3/2023 दिनांकित 31 मार्च 2023

Ref: (a) IRDAI/ACTL/CIR/PRO/081/3/2023 dated 31st March 2023

(ख) आईआरडीएआई/एसीटीएल/सीआईआर/पीआरओ/207/10/2022 दिनांकित 4 अक्टूबर 2022

(b) IRDAI/ACTL/CIR/PRO/207/10/2022 dated 4th October 2022

1. यह परिपत्र बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 की धारा 14 (2) (ड) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किया जा रहा है।

This circular is being issued in exercise of the powers conferred by Section 14 (2) (e) of the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999.

2. उद्योग से प्राप्त प्रतिसूचना के आधार पर तथा बीमा उद्योग द्वारा बीमा व्यापन के संवर्धन को सुसाध्य बनाने के लिए वर्तमान यूज़ एण्ड फाइल प्रक्रिया के दायरे का आगे और विस्तार करने का निर्णय लिया गया है।

Based on the feedback from Industry and in order to facilitate the insurance industry to promote insurance penetration, it has been decided to further expand the scope of current Use and File procedure.

3. जीवन बीमा व्यवसाय के लिए उत्पादों/राइडरों की फाइलिंग संबंधी परिपत्र संदर्भ सं. आईआरडीएआई/एसीटीएल/सीआईआर/पीआरओ/207/10/2022 दिनांक 4 अक्टूबर 2022 का आंशिक आशोधन करते हुए निम्नलिखित आशोधन किये गये हैं :

In partial modification of Circular on filing of products/Riders for Life Insurance Business issued vide Ref no. IRDAI/ACTL/CIR/PRO/207/10/2022 dated 4th October 2022 the following modifications are made:

3.1 अध्याय I के खंड ख के पैरा सं. 10.4 को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया गया है:

वैयक्तिक और सामूहिक यूनिट-सहबद्ध जीवन और स्वास्थ्य बीमा उत्पाद।

Para No. 10.4 of Section B of Chapter I is substituted with:

Individual & Group unit-linked life & health insurance products.

3.2 अध्याय I के खंड ख के पैरा 10.9 के बाद नया पैरा 10.10 जोड़ दिया गया है:

मिश्रित (काम्बी) उत्पाद, जहाँ जीवन बीमाकर्ता अग्रणी बीमाकर्ता है और ऐसे मिश्रित (काम्बी) उत्पाद वर्तमान मानदंडों का अनुपालन करेंगे।

New para 10.10 added after para 10.9 of Section B of Chapter I:

Combi products, where life insurer is a lead insurer and such Combi products shall comply with the extant norms.

3.3 अध्याय I के खंड ख के पैरा 11.3.2 के बाद नया पैरा 11.3.3 जोड़ दिया गया है:

वर्तमान एसएफआईएन मंजूरी प्रक्रिया समाप्त की गई है। तथापि, बीमाकर्ता निवेश मास्टर परिपत्र संदर्भ: आईआरडीएआई/एफ&आई/सीआईआर/आईएनवी/226/10/2022 दिनांक 27.10.2022 के पैरा-4.15 (क) (1) (2) और (3) के उपबंधों का अनुपालन करेंगे जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ प्रत्येक वियोजित निधि, एवं यूलिप के एयूएम पर समय-समय पर यथासंशोधित आईआरडीएआई (निवेश) विनियम, 2016 के विनियम 9 के अनुसार सभी विवेकपूर्ण और एक्सपोज़र मानदंड निहित हैं।

New para 11.3.3 added after para 11.3.2 of Section B of Chapter I:

The current SFIN clearance process by IRDAI is dispensed with. However, insurers shall comply with the provisions of Para - 4.15 (a) (1) (2) and (3) of the Investment Master Circular Ref: IRDA/F&I/CIR/INV/226/10/2022 dated 27.10.2022 which contains among others all prudential and exposure norms as per Regulation 9 of IRDAI (Investment) Regulations, 2016 as amended from time to time at each segregated fund, as well as AUM of ULIP.

3.4 अध्याय I के खंड ग के पैरा 14.7 के बाद नया पैरा 14.8 जोड़ दिया गया है:

वर्तमान यूनिट सहबद्ध उत्पादों के साथ नई यूनिट सहबद्ध निधियों का संयोजन। इस वाक्यांश के अंतर्गत अनुमत आशोधन अध्याय I के खंड ख के पैरा 11.3.3 का अनुपालन करेंगे, जैसा कि उपर्युक्त पैरा 3.3 के अंतर्गत उल्लेख किया गया है। एक बार उक्त नई निधि(निधियाँ) वर्तमान अथवा नये यूनिट सहबद्ध उत्पाद(दों) के साथ संयोजित की जाती है/हैं, तो उक्त निधि(निधियों) को परिपत्र दिनांक 04.10.2022 के पैरा 15.4 के प्रयोजन के लिए अनुवर्ती यूनिट सहबद्ध उत्पादों हेतु वर्तमान निधि(यों) के रूप में माना जाएगा।

New para 14.8 added after para 14.7 of Section C of Chapter I:

Addition of new unit linked funds to existing unit linked products. The modifications permitted under this clause shall comply with Para 11.3.3 of Section B of Chapter I, as mentioned under Para-3.3 above. Once the new fund(s) is/are added to existing or new unit linked product(s), the fund(s) shall be treated as existing fund(s) for subsequent unit linked products for the purpose of para-15.4 of circular dated 04.10.2022.

4. ऊपर संदर्भित परिपत्रों के सभी अन्य उपबंध अपरिवर्तित रहेंगे।

All other provisions of the above referred circulars shall remain unchanged.

5. यह परिपत्र तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

This circular comes into force with immediate effect.